

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक / शैक्ष. / नादेपचिविवि / 2017

दिनांक : / / 2017

प्रति,

1. अधिष्ठाता,
पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय,
जबलपुर / महू / रीवा
2. प्रभारी अधिष्ठाता,
मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय,
जबलपुर

विषय: मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना वर्ष 2017-18 के संबंध में।

सदर्भ: 1. अवर सचिव म.प्र शासन पशुपालन विभाग का पत्र क्रमांक 1734 / 2597 / 2017 / 35, भोपाल, दिनांक 06 जुलाई 2017।

2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2966 / शैक्षणिक / 2017 दिनांक 22.07.2017।

सदर्भित पत्रों के तारतम्य में लेख है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनांतर्गत पात्र किरणी भी छात्र/छात्रा से शासन द्वारा जारी किये गये सदर्भित आदेशों के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय संस्थाओं एवं शासन द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के विधार्थियों का देय शुल्क तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा सीधे संस्था के खाते में प्रदान किया जाएगा।

अतः शासन के निर्देशनुसार नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों जैसे B.V.Sc.& A.H. /B.F.Sc. के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं से सत्र 2017-18 हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जावे, क्योंकि उपरोक्त शुल्क का भुगतान म.प्र शासन के तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संबंधित संस्था के खाते में प्रदत्त किया जावेगा।

परंतु शासन की शर्तों के अनुसार उपरोक्त नियमानुसार प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राएँ (सत्र 2017-18) इस योजना की निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करते हों।

1. विद्यार्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम हो।
3. विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल (म.प्र) द्वारा आयोजित 12 वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSE नई दिल्ली द्वारा आयोजित 12 वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो।

विस्तृत जानकारी हेतु उप सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा प्राप्त पत्र संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुराग

कुलपति जी के आदेशानुसार


कुलसचिव


दिनांक : 01 / 09 / 2017

पृष्ठांक क्रमांक 3119 / शैक्ष. / नादेपचिविवि / 2017

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अधिष्ठाता संकाय, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
2. वित्त नियंत्रक, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
4. निज सचिव, माननीय कुलपति ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।


कुलपति


कुलसचिव
31.07.2017

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 29.07.2017

संशोधित-आदेश :

31-7-17

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में विभागीय आदेश 12 जून 2017 को संशोधित स्वरूप में निम्नानुसार निर्गत किया जाता है -

2. पात्रता की शर्तेः-

2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो, तथा

2.2 विद्यार्थी पिता/पालक की आय 6 लाख रुपये से कम हो,

परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख तक है तथा वे बी.पी.एल. कार्डधारी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कंडिका क्रमांक 3.1.

3.2 3.3 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं को विशेष प्रकरण मानते हुये इनके संबंध में विभाग समन्वय में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा, तथा

2.3 विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा वर्ष 2016 या उसके पश्चात आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

3.1 इंजीनियरिंग क्षेत्रः- कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रेंक 50 हजार के अन्तर्गत हो। अगर विद्यार्थी किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

- शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
- प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रुपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण- i) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेर्फ़ मेन्स में 50 हजार तक के अंतर्गत रेक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

ii) **शासकीय कॉलेज की परिभाषा में अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं समस्त शासकीय विश्वविद्यालय भी सम्मिलित माने जावेंगे।**

3.2 मेडिकल की पढ़ाई :- a. जिन छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश शासन में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। तो विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण NEET अथवा भारत शासन के अंतर्गत ऐसे संस्थान जो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा।

b. शासकीय मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉड रूपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉड की राशि रूपये 25 लाख होगी।

3.3 विधि की पढ़ाई :- CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.4 मध्यप्रदेश में स्थित भारत सरकार के समस्त संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5 राज्य शासन के सभी कॉलेज जिसमें बी.एस.सी., बी.ए., बी.कॉम., नर्सिंग, पोलीटेक्निक तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.6 योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी

विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जाएगा।

4. योजना की अन्य शर्तें -


- 4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।
- 4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा।
- 4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।
- 4.4 सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करा सकेंगे।

5. योजना का क्रियान्वयन-

- 5.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।
- 5.2 योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से आरंभ की जावेगी।
- 5.3 नोडल विभाग द्वारा इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जावेगा तथा योजनांतर्गत प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक व्यय योजना बजट से देय होगा।
- 5.4 इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
- 5.5 संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरिफिकेशन उपरांत संस्था को देय शुल्कों की पूर्ति संबंधित संस्थान /विद्यार्थी को ई-ट्रासंफर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से की जायेगी।
- 5.6 ऐसे छात्र जिनके पास आधार नम्बर नहीं हैं उनको तीन माह के अन्दर आधार नम्बर प्रस्तुत करना होगा।

6. योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु समन्वय में मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(संभजीय यादव)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 29.07.2017

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)

प्रतिलिपि:-

31-७-१७

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, गवालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
6. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
11. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग